तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मानसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 185 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मानसिंह राठौड़ (गड़ा) सेवानिवृत पुलिस निरीक्षक पता प्लॉट नं. 468(एन), न्यू बी.जे.एस. कॉलानी मार्ग सं. 22 एस.बी.आई. बैंक के पास, अजमेर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.10.17. में उसके द्वारा (1) आवेदन का ख.नं. 90 मौजा रतनपुरा पटवारी पटवार मण्डल गड़ा त0 शेरगढ जिला जोधपुर खातेदारों के नक्शे में तरमीम करने हेतु आवेदन मय मौका रिपोर्ट पटवारी के काफी अर्से से लम्बित है, मुझे मेरे आवेदन व मौका रिपोर्ट सत्य फोटो प्रति की आवश्यकता है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से जरिये पत्रांक 2678 दिनांक 14.12.2017 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2017/2352 दिनांक 16.11.17 के द्वारा व्यक्तिशः प्रदाय की जा चुकी है तथा दी गई सूचना पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना व्यक्तिशः दी जा चुकी है तथा सूचना प्राप्ति पर हस्ताक्षर किये हुए है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	